पिछडी जाति छात्रवृति योजना

1:— कक्षा 3 से 5 तक छात्रवृति

कक्षा 3 से 5 तक के पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को 25 रूपये मासिक प्रति छात्र की दर से प्रत्येक कक्षा के एक–एक छात्र (कुल तीन) को धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार उक्त योजना की धनराशि ग्रामनिधि खातें में हस्तान्तरित करने का प्राविधान है। विद्यालय द्वारा स्वतः छात्र का आवेदन भरवाया जाता है तथा ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। छात्र–छात्राओं की सूची विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम् से पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को धनराशि आंवटन हेतु भेजा जाता है।

2:— कक्षा 6 से 8 तक छात्रवृति

कक्षा 6 से 8 तक के पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को 40 रूपये मासिक प्रति छात्र की दर से कक्षा 6 में 2, कक्षा 7 में 3 तथा कक्षा 8 में 3 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार उक्त योजना की धनराशि ग्रामनिधि खातें में हस्तान्तरित करने का प्राविधान है। विद्यालय द्वारा स्वतः छात्र का आवेदन भरवाया जाता है तथा ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। छात्र–छात्राओं की सूची विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम् से पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को धनराशि आंवटन हेतु भेजा जाता है।

3:— कक्षा 9 से 10 तक छात्रवृति

कक्षा 9 से 10 तक पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को 60 रूपये मासिक की दर से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावको के छात्र/छात्राओं को बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा शिक्षा विभाग के माध्यम् से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग धनराशि आंटन हेतु भेजा जाता है। धनराशि प्राप्त होने पर विद्यालय द्वारा धनराशि वितरित की जाती है।

4:— दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृति

दशमोत्तर कक्षाओं में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को कक्षा 11 से स्नातक/स्नातकोत्तर तक 70 रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृति देने का प्राविधान है। छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा स्वीकृति किया जाता है तथा शिक्षा विभाग के माध्यम् से धनराशि की मांग जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से किया जाता है। धनराशि प्राप्त होने पर विद्यालय द्वारा वितरित किया जाता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com